न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 30/2018

संदीप कौर पत्नि आत्मा सिंह पुत्री जैला सिंह उर्फ जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी पक्का सहारणा वार्ड नं. 1 तहसील व जिला हनुमानगढ।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

--निर्णय-- दिनांक 30/1/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 8 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 41 के मु.न. 13,24,28,35 की कुल 4.504 हैक्टर नहरी भूमि में से 0.750 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 45 के मु.न. 14, 21, 24, 28, 35, 40, 41, 42, 48/2, 48/5 की कुल 15.105 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से प्राथीया के नाम 0.126 हैक्टर रकबा प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। दोनो खातो की कुल 0.876 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम सहवन से संदीप कौर के स्थान पर संदीप कौर उर्फ सतनाम सिंह दर्ज कर दिया गया जबकि वादिया का वास्तविक नाम संदीप कौर है। वादिया के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थीया का वास्तविक नाम संदीप कौर पत्नि आत्मा सिंह अंकित है। प्रार्थीया तहसीलदार श्री करणपुर में राजस्व रिकॉर्ड में संदीप कौर उर्फ सतनाम कौर के स्थान पर संदीप कौर दुरूस्त करवाने हेतु कहा तो पहले टाल मटोल करते रहे, परन्तु आज से करीब 20 दिन पूर्व प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया और श्री मान जी के समक्ष चाराजोही करने हेतु कहा। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 8 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 41/41 व 45/45 में प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.876 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थीया का नाम संदीप कौर उर्फ सतनाम कौर के स्थान पर संदीप कौर दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुई रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार नामान्तरण संख्या 169 व 408 के अनुसार प्रार्थीया के पिता, पिता के भाई व माता के फौत होने से विरास्तन इंतकाल से उक्त भूमि दर्ज हुई है। जिसमें उक्त नामान्तरणो से प्रार्थीया का नाम सन्दीप कौर उर्फ सतनाम कौर पुत्री जैला सिह उर्फ जरनैल सिंह दर्ज है। इस प्रकार नामान्तरण व जमाबन्दी दोनो में प्रार्थीया का नाम संदीप कौर उर्फ सतनाम कौर दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं हुई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

संदीप कौर बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136एलआरएक्ट प्रकरण संख्या 30/2018

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने चक 8 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 41/41 व 45/45 में प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.876 हैक्टर नहरी भूमि में प्रार्थीया का नाम संदीप कौर उर्फ सतनाम कौर के स्थान पर संदीप कौर दुरूस्त अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थीया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,, राशन कार्ड, में प्रार्थीया का नाम संदीप कौर अंकित है। प्रार्थीया के नाम के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत 25 एच दलपतसिंहपुर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार उक्त रकबा विरास्तन इन्तकाल संख्या 169 व 408 में वादिया का नाम सन्दीप कौर उर्फ सतनाम कौर दर्ज हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं हुई। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त की जाती है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य नही। है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीया पत्रावली में पेश दस्तावेज के आधार पर लिपिकीय त्रुटि सिद्व नही कर सकी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ रीना आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner